

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 50/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी शॉप नम्बर डी-4, न्यू मंडी, जयपुर रोड़, जिला सीकर राज.-332001।
यहां भी
मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन
निवासी शॉप नम्बर डी-4, न्यू मंडी, जयपुर रोड़, जिला सीकर राज.-332001।
2. सरोज देवी पत्नी नेमी चन्द जैन (सहऋणी)
निवासी वार्ड नम्बर 17, अमली मार्ग, गुलाब देवी स्कूल के पास, जिला सीकर राज.
-332001।
3. मनीष कुमार जैन पुत्र नेमी चन्द जैन (सहऋणी)
निवासी वार्ड नम्बर 17, अमली मार्ग, गुलाब देवी स्कूल के पास, जिला सीकर राज.
-332001।
4. नेमी चन्द जैन पुत्र घीसालाल जैन (जमानतकर्त्ता)
निवासी वार्ड नम्बर 17, अमली मार्ग, गुलाब देवी स्कूल के पास, जिला सीकर राज.
-332001।

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन, सरोज देवी, मनीष कुमार जैन, नेमी चन्द जैन को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में शॉप नम्बर डी-4, न्यू मंडी, जयपुर रोड़, जिला सीकर राज.-332001 जिसकी नाप 1000 वर्गफिट है। मालिकाना हक मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :- पूर्व में पब्लिक रोड़, पश्चिम में -पब्लिक रोड़, उत्तर में -शॉप नम्बर डी-5, दक्षिण में -शॉप नम्बर डी-3 को बंधक रखकर 39,50,000/-रूपये (अक्षरे

रूपये उनचालीस लाख पच्चास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री उत्तम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 22.03.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन, सरोज देवी, मनीष कुमार जैन, नेमी चन्द जैन की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक शॉप नम्बर डी-4, न्यू मंडी, जयपुर रोड़, जिला सीकर राज.-332001 जिसकी नाप 1000 वर्गफिट है। मालिकाना हक मै. नेमी चन्द राजेश कुमार जरिये पार्टनर नेमी चन्द जैन का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :- पूर्व में पब्लिक रोड़, पश्चिम में -पब्लिक रोड़, उत्तर में -शॉप नम्बर डी-5, दक्षिण में -शॉप नम्बर डी-3 का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 19 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर